

राजस्थान सरकार
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)

E-mail: drugcontroller.lmh@rajasthan.gov.in Contact no. 0141-2221760, 2221670

क्रमांक : डीसी/अलर्ट/2023/1293

दिनांक : 18-05-2023

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।

अलर्ट नोटिस

विषय:- गम्भीर अवमानक, अपमिश्रित एवं नकली औषधि के सम्बन्ध में अलर्ट नोटिस।

राजकीय विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर (राज0) ने निम्नांकित टेस्ट रिपोर्ट जारी कर निम्न औषधि को उसके सम्मुख अंकित कारण से अपमिश्रित, नकली एवं अवमानक कोटि का घोषित किया है:-

S. No.	Name of Drugs/ Batch No.	T/R No. & Date	Manufactured by	Reason
1.	Pregabalin & Methycobalamin Capsule I.P. (Mecanza-PG) IBC-0213	7812/2023-2024/DTL/2023 date 12/May/2023	M/s Instant Remedies Pvt. Ltd., V.P.O. Gholu Majra, Dappar- 140507	The sample does not conforms to the claim with respect to Assay of Pregabalin (Nil) and found Gabapentin 137.65 mg per capsule.

अतः आप पूरे राज्य में अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण निगरानी/सतर्कता बरतते हुये औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करें तथा उक्त निर्माता की अन्य औषधियों के नमूने भी नियमानुसार जांच हेतु लें।

औषधि नियंत्रक-प्रथम औषधि नियंत्रक-द्वितीय
राजस्थान जयपुर राजस्थान जयपुर

क्रमांक : डीसी/अलर्ट/2023/1293

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मय दयाओं की सूची के संलग्न कर प्रेषित है:-

1. औषधि महानियंत्रक (भारत), एफ.डी.ए. भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. औषधि महानियंत्रक (भारत), सी0डी0एस0सी0ओ0 (नार्थ जोन) जयपुर, गाजियाबाद।
3. निजी सहायक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, आयुक्तालय जयपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, आर0एम0एस0सी0एल0, मुख्यालय।
5. निजी सचिव, मिशन डायरेक्टर, एन0आर0एच0एम0, राज0 जयपुर।
6. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प0क0/आईईसी/एडस/एम0एस0यू0/ई0एस0आई0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर।
7. The Drugs Controllers' Andrapradesh/ Gujarat/ Himachal Pradesh/ Pondicherry/ Madhya Pradesh/ Uttrakhand/ Assam/ Arunachal Pradesh/ Andaman Nicobar/ Bihar/ Chattisgarh/ Daman/ Delhi/ Dadar & Nagar Haveli/ Maharashtra/ Goa/ Haryana/ Jammu & Kashmir/ Jharkhand/ Kerala/ Lakshadweep/ Manipur/ Meghalaya/ Mizoram/ Nagaland/ Orissa/ Punjab/ Sikkim/ Tripura/ UttarPradesh/ West Bengal/ Karnataka/ Maharashtra.
8. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज0 जयपुर।
9. समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
12. सहायक निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
13. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान केमिस्ट एशोसिएसन, राजस्थान।
14. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सभी अधिकारियों को आदेश की प्रति e-mail से भी भिजवाये तथा Drugs Control की विभागीय Website पर upload करने का श्रम करें।
15. रक्षित पत्रायली/संबंधित पत्रायली।

औषधि नियंत्रक-प्रथम औषधि नियंत्रक-द्वितीय
राजस्थान जयपुर राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Anil Phatak
Designation: Drug Controller
Date: 2023.05.18 14:52 IST
Reason: Approved

7:\DigiGOV\rajasthan\FireSystem\DMSSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\169443048980.docx

RajKaj Ref No. : 3870260



RajKaj Ref No. : 3681902

Document certified by RAJA RAM SHARMA
<DRUGCONTROLLER2 MHOR@RAJASTHAN.GOV.IN>

Digitally Signed by RAJA
RAM SHARMA
Designation: Drug Controller
Date :18-05-2023 06:01:59